प्रेषक,

सत्येन्द्र सिंह,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पी0सी0एक्ट–2
लखनऊ।

सेवा में,

श्रीमान् महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ।

विषयः सम्पत्ति विक्रय किये जाने की अनुमति के सन्दर्भ में

महोदय,

ससम्मान अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी आवास विकास परिषद लखनऊ का अलखनन्दा अपार्टमेन्ट में एक फ्लैट क्रय करना चाहता है, जिसके लिए उसे पैसों की आवश्यकता है, अतः अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपना एक किता प्राइवेट प्लाट संख्या–10बी स्थित आराजी संख्या–227, ग्राम मोहम्मदपुर, तहसील परगना व जिला कानपुर नगर क्षेत्रफल 100.50 वर्गगज– 84.028 वर्गमीटर को अशोक कुमार यादव पुत्र श्री मौजी लाल यादव ग्राम वुज्पुर पो0 बिठूर कानपुर नगर को मु0 25,00,000/–रू0 में विक्रय करने का सौदा किया गया है। क्रेता का कोई वाद मेरे द्वारा तय नहीं किया गया है, न ही मेरे न्यायालय में लम्बित है तथा किसी प्रकार से मुझसे सम्बन्धित नहीं है।

अतः माननीय महोदय से अनुरोध है कि अधोहस्ताक्षरी को उक्त प्लाट का विक्रय किये जाने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक 19.04.2024

(सत्येन्द्र सिंह),
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश पी.सी.एक्ट–2
लखनऊ